किस्म मुकदमा नम्बर सन् 20 19

प्रा. पत्र धारा 151 सीपीसी 80/19

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2019/00080 श्री उमेश कुमार श्री मै. ...	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
7.3.19		

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 अपील को पुनः दर्ज कर सुनवाई किए जाने बाबत् पर न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली तलब की गई । प्रार्थना पत्र की नकल पूर्व में अभिभाषक रेस्पो0 को दिलवाई गई है ।

उभयपक्षों के अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई ।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दौरोने बहस कथन किया कि उक्त अपील मान0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई किन्तु उनके कार्यालय कर्मचारी द्वारा यह कह दिया कि उक्त अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां ही प्रस्तुत होगी । इसलिये यह अपील पुनः इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.10.2018 के अनुसरण में प्रार्थी ने अपील संभागीय आयुक्त न्यायालय में पेश नहीं की है । केवल कार्मिक/लिपिक के मौखिक कथन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका कोई आधार नहीं है । वर्तमान में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन नहीं है । अतः आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जावे ।

उभयपक्षो की बहस पर मनन किया । न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन पर पाया कि पूर्व में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2018 सहवन से यह अपील धारा 90—बी (3) भू—राजस्व अधि0 के तहत मानते हुए सक्षम न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए गऐ थे किन्तु आक्षेपित आदेश दिनांक 7.2.2018 का अवलोकन करने पर स्पष्ट जाहिर होता है कि संपरिवर्तन आदेश विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़) द्वारा अपीलाधीन भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत जारी किया गया है जो कि इस न्यायालय के अपील क्षैत्राधिकार में है । पूर्व में अपीलांट द्वारा धारा 90—बी (7) भू—राजस्व अधि0 का उल्लेख किये जाने के कारण उक्त आदेश दिनांक 30.10.2018 न्यायालय हाजा द्वारा पारित कर दिया गया । जबकि आक्षैपित आदेश के अनुसार प्रकरण में सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को ही प्राप्त है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिभाषक की त्रुटि/गलती का दण्ड पक्षकारों को नहीं दिया जाना चाहिये ।

अतः न्यायालय द्वारा न्यायहित में स्वप्रेरणा से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रस्तुत अपील को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिए जाते है । पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 1-4-19 को पेश हो ।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर